संख्या– /71–2–11–एन–107/2007 टी.सी.

प्रेषक,

अजीत प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

सचिव,
स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊःदिनांक 31 जनवरी, 2011

विषयः–यशराज इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्राम–जिन्दापुरवा, पोस्ट–तातियागंज, चौबेपुर, कानपुर को बी0एससी0 नर्सिंग (डिग्री) प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–315/2011 दिनांक 18–1–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यशराज इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्राम–जिन्दापुरवा, पोस्ट–तातियागंज, चौबेपुर, कानपुर को बी0एससी0 नर्सिंग (डिग्री) प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु 40 छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रदान की जाती हैः–

(1)संस्था द्वारा एक वर्ष के अन्दर प्रशिक्षण हेतु सभी मानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर इण्डियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से निरीक्षण कराकर अनुमति/मान्यता प्राप्त कर प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की कार्यवाही की जाय।

(2)संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण के सबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों एवं चयन प्रकिया का पालन करना अनिवार्य है।

(3)संस्था का उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी प्रत्येक तीसरे वर्ष निरीक्षण कराया जायेगा। यदि संस्था द्वारा उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/राज्य सरकार के किसी भी दिशा–निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो संस्थान की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

(4)संस्था द्वारा शासनादेश दिनांक 14–10–2005 द्वारा निर्धारित शुल्क फैकल्टी में जमा कर आवश्यक रसीद प्राप्त की जायेगी।

2– कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजीत प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

संख्या–355 (1)/71–2–11–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रबन्धक, यशराज इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्राम–जिन्दापुरवा, पोस्ट–तातियागंज, चौबेपुर, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश दिनांक 14–10–2005 द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अंतर्गत आवश्यक धनराशि/शुल्क किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजीत प्रकाश)